कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन–शाखा)
मध्य प्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल

दूरभाष एवं फैक्स नं0 0755&2674354 E-mail: apccfproduction@mpforest.org

पत्र.क्र. / उत्पादन / 09 / 3410 भोपाल दिनांक 31 / 07 / 2009

प्रति,

1. मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना)
   जबलपुर, भोपाल एवं इन्दौर, म.प्र.
2. समस्त मुख्य वन संरक्षक एवं
   पदेन वन संरक्षक (क्षेत्रीय) वृत्त, मध्यप्रदेश
3. समस्त वन संरक्षक (कार्य आयोजना), मध्यप्रदेश
4. समस्त वन मंडलाधिकारी, (उत्पादन / क्षेत्रीय), मध्यप्रदेश

विषयः– बांस के वार्षिक कूपों से अनुमानित उत्पादन की गणना हेतु बांस उपचार नियम एवं सेम्पल सर्वे।

––00––

उपरोक्त विषय में बांस के अनुमानित उत्पादन की गणना हेतु भेजे गये निर्देशों में संशोधन कर बांस उपचार नियम भाग–1 एंव बांस के वार्षिक कूपों से अनुमानित उत्पादन की गणना हेतु बांस के विदोहन हेतु बांस उपचार नियमों एवं इसे संबंध में उपयोग में लाये जाने वाले तकनीकी शब्दों की जानकारी सेम्पल सर्वे भाग–2 इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है। यदि इन निर्देशों में किसी प्रकार की संशय अथवा कोई सुझाव हो तो कृपया इस कार्यालय को 20 अगस्त, 2009 तक प्रस्तुत करें ताकि उसका परीक्षण कर कार्यवाही किया जा सकें।

वर्ष 2009–10 में बांस कूपों की कटाई 15 अक्टूबर 2009 को प्रारंभ होगी। इन कूपों के अनुमानित उत्पादन की गणना पूर्व पद्धति से आपके द्वारा जून 2009 में की गयी होगी। नवीन निर्देश के मुताबिक अब 15 सितम्बर से 15 अक्टूबर 2009 के मध्य में उन्हीं कूपों के अनुमानित उत्पादन की गणना पुनः की जाए। इस गणना को अनुमानित उत्पादन के लिये आधार माना जाए। उल्लेखनीय है कि कूपों का हस्तांतरण जून के बाद उत्पादन वनमण्डल को कर दिया जाता है, अतः अनुमानित उत्पादन की गणना करते समय क्षेत्रीय वनमण्डल के परिक्षेत्र अधिकारी उत्पादन वनमण्डल के परिक्षेत्र अधिकारी को सम्मिलित करेंगे।

वनमण्डलाधिकारी क्षेत्रीय अनुमानित उत्पादन की गणना करते समय स्वयं भी सेम्पल प्लाट डालने के संबंध में एवं गणना करने के संबंध में कर्मचारियों को मार्गदर्शन देंगे।

संलग्नः– 1) बांस उपचार नियम–भाग–1

2) बांस के वार्षि कूपों से अनुमानित उत्पादन की गणना हेतु सेम्पल सर्वे–भाग–2

(डॉ. पी.बी. गंगोपाध्याय)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ.क्र. / उत्पादन / 09 / 3411 भोपाल दिनांक 31 / 07 / 2009

प्रतिलिपिः–

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना) म.प्र. भोपाल की ओर अग्रेषित। कृपया समस्त तैयार की जा रही कार्य आयोजनाओं में बांस के वार्षिक कूपों से अनुमानित उत्पादन की गणना हेतु बांस उपचार नियम एवं सेम्पल सर्वे में दिये जा रहे नवीन निर्देशों को सम्मिलित कराने का कष्ट करें।

पूर्व में जिन कार्य आयोजनाओं में भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है एवं संबंधित कार्य आयोजनाऐं कार्यरत है उनमें भी बांस उपचार संबंधी निर्देशों को लागू करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

2. संचालक, म.प्र. राज्य वन अनुसंधान संस्थान, आधारतल, पोलीपाथर, जबलपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) म.प्र. भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
मध्यप्रदेश, भोपाल